पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़
36 C III, ब्लॉक-II, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
Fax No. 0771-2221141, Email- dp.cg@nic.in

क्रमांक/ई–पंचा./2018/147 नया रायपुर, दिनांक 23/03/2018

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त
छत्तीसगढ़

विषय :– दिनांक 22.03.2018 को आयोजित वीडियों कांन्फ्रेन्सिग का कार्यवाही विवरण।

–– 00 ––

कृपया अवगत हो, दिनांक 22.03.2018 को अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों की समीक्षा, विडियों कांन्फ्रेंन्सिक के माध्यम से आहुत की गई।

आपके द्वारा जिला पंचायतों में योजनाओं के प्रगति हेतु अपेक्षित कार्यवाही निम्नवत है:–

1. <u>कार्य निष्पादन अनुदान हेतु कार्यवाही:–</u> भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान हेतु वे ही ग्राम पंचायत पात्र होंगें, जिन्होंने प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में जीपीडीपी प्लान की शत् प्रतिशत एंट्री पूर्ण की हो, साथ ही एफएफसी डैशबोर्ड में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की एंट्री शत् प्रतिशत पूर्ण की हो।

   (कार्यवाही अपेक्षित:– दिनांक 25.03.2018 तक प्लान प्लस एवं एफएफसी डैशबोर्ड में समस्त एंट्री शत् प्रतिशत पूर्ण किया जाना।)

2. <u>प्रियासॉफ्ट में एंट्री की प्रगति:–</u> भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2018 से प्रदेश में पीएफएमएस लागू किया जाना है। 01.04.2018 से समस्त ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत समस्त निधिया पीएफएमएस के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सीधे हस्तांतरित तथा समस्त व्यय प्रियासॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाईन ही किये जायेगें। यह भी उल्लेखनीय है,कि यदि 31.03.2018 तक वर्ष 2017–18 की लेखा पुस्तिका को बंद नही किया जाता है, तो कोई भी ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 14 वें वित्त आयोग एवं आरजीएसए योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन–देन नही कर पायेंगें।

   (कार्यवाही अपेक्षित:– दिनांक 31.03.2018 तक प्रियासॉफ्ट में जिला/जनपद/ग्राम पंचायत में समस्त लेखा पुस्तिका की एंट्री एवं वित्तीय लेखा पुस्तिका को बंद किया जाना।)

3. <u>पीएफएमएस का क्रियान्वयन:–</u> दिनांक 01.04.2018 से प्रदेश के समस्त जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों में, 14 वें वित्त आयोग एवं आरजीएसए अंतर्गत समस्त निधियां स्थानीय निकायों के बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किये जायेगें।

   (कार्यवाही अपेक्षित:– दिनांक 28.03.2018 तक 14 वें वित्त आयोग एवं आरजीएसए योजना अंतर्गत जिला/जनपद/ग्राम पचांयत स्तर के बैंक खातों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में समयावधि में भेजा जाना।)

4. **15वें वित्त आयोगः—** 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अपेक्षित जानकारी हेतु समस्त जिला पंचायतों को निर्धारित प्रपत्र प्रेषित किये गये।
(कार्यवाही अपेक्षितः— दिनांक 04.04.2018 को आहूत बैठक में निर्धारित प्रारूप अनुसार जानकारी का संकलन कर प्रभारी अधिकारियों के साथ निश्चित रूप से भेजा जाना।)

कृपया कंडिका 1 से 5 अनुसार तत्काल कार्यवाही समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(तारन प्रकाश सिन्हा)
संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / ई–पंचा. / 2018 / 148 नया रायपुर, दिनांक 23 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :—

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

संचालक
पंचायत संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर